न्यायालय– न्यायिक मजिस्ट्रेट मऊरानीपुर ,झांसी।

मुकदमा सं०–292/2018

रमलू बनाम वंशी आदि

दि०–05.10.2019

पत्रावली पेश हुई । परिवादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षीगण वंशी, देशराज, श्रीमती शोला निवासियान खिसनी खुर्द थाना सकरार जिला झाँसी व नाथूराम नि० फुटेरा बरुआसागर जिला झांसी के रहने वाले है उक्त विपक्षीगण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर ऐसे स्थान में निवास कर रहे है जो इस न्यायालय की अधिकारिता से परे है, जैसा कि **माननीय उच्चतम न्यायालय ने नेशनल बैंक आँफ ओमान बनाम बराकार अब्दुल अजीज 2013(2 ACC) 488 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ बेंच ने पवन कुमार यादव और अन्य बनाम उ०प्र० राज्य और अन्य 2014 (1) जी०आई०सी० 211** में यह अवधारित किया गया है कि तलबी करने से पूर्व यदि अभियुक्तगण उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर निवास करते है तो मजिस्ट्रेट अवश्य पुलिस अधिकारी से धारा–202 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत सम्मन जारी करने से पूर्व अन्वेषण कराये कि क्या अभियुक्तगण के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु आधार पर्याप्त है या नही तथा धारा 202 दं०प्र०सं० में यह प्रावधान है कि यदि परिवाद में वर्णित अभियुक्तगण किसी अन्य स्थान में निवास करता है जिस क्षेत्र में मजिस्ट्रेट की अधिकारिता नही है तो मजिस्ट्रेट अभियुक्तगण के विरूद्ध आदेशिका का जारी किया जाना मुल्तवी कर सकता है और यह विनिश्चित करने के प्रयोजन से कि कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त आधार है या नही या तो स्वयं ही मामले की जांच कर सकता है या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण किये जाने के लिये निर्देश देगा। उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुये विपक्षीगण वंशी, देशराज, श्रीमती शौला व नाथूराम के इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे निवास को देखते हुये यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचती है कि उक्त प्रकरण में धारा–202 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत सम्बंधित थाने द्वारा अन्वेषण कराया जाना उचित होगा।

सम्बंधित थाना सकरार, झांसी को आदेशित किया जाता है कि परिवाद सं०–292/2018 में धारा–202 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत अन्वेषण कर अपनी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करे। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 10.12.2019 को पेश हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट, मऊरानीपुर,
झांसी।